	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 19, गुरूवार, *शाके* 1945-अगस्त 10, 2023 *Sravana 19, Thursday , Saka 1945- August 10, 2023*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 8, 2023

संख्या प.2(35)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 2022 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 10 का संशोधन.- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम सं. 6) की धारा 10 की उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी", प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परंतुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।